

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता गुलाब पुत्र भीखू निवासी मिश्रौलिया, थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 375 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 08471 से कालर ने दो पक्षों मे मारपीट होने से 01 व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 06 मिनट में मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को प्राईवेट वाहन से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी नरसिंह यादव, आरक्षी जितेन्द्र गुप्ता, हो0चा0 सुरेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 52 वाहनो से 51100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 09-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 52 वाहनो से 51100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।